Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 38-2018/Ext.] चण्डीगढ़, मंगलवार, दिनांक 6 मार्च, 2018
(15 फाल्गुन, 1939 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	1. हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 28)	7—9
	2. भारतीय स्टाम्प (हरियाणा द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 29) (केवल हिन्दी में)	11—12
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	कुछ नहीं	
भाग IV	**शुद्धि—पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं।	

भाग –I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 मार्च, 2018

संख्या लैज० 31/2017– दि हरियाणा कॅनसोलिडेशॅन आफ प्रोजेक्ट लैन्ड (स्पेशल प्रोविज़नज) ऐक्ट, 2017 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 26 फरवरी, 2018 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2017 का हरियाणा अधिनियम संख्या 28

हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2017

किसी परियोजना को स्थापित करने की वजह से रह गए भू–खण्डों को समेकित करने तथा उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक मामलों के लिए विशेष उपबंध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा परियोजना भूमि समेकन (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अभिकरण'' से अभिप्राय है, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रित, प्रबन्धित अथवा प्रशासित कोई अभिकरण और इसमें बोर्ड तथा निगम भी शामिल हैं ;

(ख) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन ऐसे रूप में पदाभिहित प्राधिकारी;

(ग) ''निजी भूमि के रह गए भू–खण्डों'' से अभिप्राय है, किसी व्यक्ति तथा न कि राज्य अथवा इसके अभिकरण के स्वामित्वाधीन परियोजना भूमि के बीच अवस्थित भू–खण्ड ;

(घ) ''व्यक्ति'' में शामिल होगा, कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि निकाय चाहे निगमित हो या नहीं ;

(ङ) ''परियोजना भूमि'' से अभिप्राय है, धारा 5 के अधीन परियोजना के लिए उत्कीर्णित या परिलक्षित भूमि;

(च) ''राज्य'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य;

(छ) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार।

परियोजना भूमि का समेकन।

3. जहां एक या अधिक राजस्व संपदाओं में आने वाले किसी विशेष क्षेत्र में कुल परियोजना भूमि का सत्तर प्रतिशत या से अधिक का स्वामित्व राज्य सरकार या किसी अभिकरण के पास है अथवा खरीदा गया है और शेष निजी भूमि के भू–खण्डों के रूप में रह जाता है, तो राज्य सरकार ऐसी परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए कुल परियोजना भूमि का समेकन कर सकती है।

सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति।

4. (1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, उप–मण्डल, जिसमें परियोजना भूमि का ऐसा समेकन अपेक्षित है, के उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक) को सक्षम प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी। यदि परियोजना भूमि दो या अधिक उप–मण्डलों की अधिकारिता में अवस्थित है, तो राज्य सरकार, सम्बद्ध उप–मण्डल के किसी उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक) को सक्षम प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित कर सकती है।

(2) सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां, कृत्य तथा कर्तव्य ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं।

परियोजना भूमि की अधिसूचना।

5. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, समेकित की जाने वाली भूमि तथा परियोजना भूमि में अवस्थित निजी भूमि के ब्यौरों सहित परियोजना भूमि का कुल क्षेत्र, परियोजना भूमि को समेकित करने के लिए राज्य सरकार के आशय को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में घोषित करेगी।

निजी भू–स्वामियों को नोटिस।

6. सक्षम प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति, जो चाहे पूर्णतः या भागतः निजी भूमि के रह गए भू–खण्डों का स्वामित्व रखता है, को नोटिस जारी करने की तिथि से एक मास की अवधि के भीतर धारा 7 के अधीन विकल्प का प्रयोग करने के लिए ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में नोटिस जारी करेगा।

प्रतिकर अथवा समान मूल्य की भूमि।

7. प्रत्येक व्यक्ति, जिसको धारा 6 के अधीन नोटिस जारी किया गया है, समेकन के प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का प्रयोग करेगा, अर्थात् :–

(i) ऐसी दर पर प्रतिकर प्राप्त करना जिस पर परियोजना के साथ लगती भूमि राज्य सरकार या अभिकरण द्वारा खरीदी गई थी या ऐसी भूमि के लिए कलक्टर दर जमा बीस प्रतिशत, जो भी अधिक हो; अथवा

(ii) उसी राजस्व संपदा में और उसी राजस्व संपदा में ऐसी भूमि की अनुपलब्धता होने की दशा में, निकटवर्ती राजस्व संपदा में समान मूल्य की भूमि का समान क्षेत्र प्राप्त करना :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति नोटिस में यथा उपबंधित नियत अवधि के भीतर खण्ड (i) या (ii) में यथा उपबंधित विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी उपरोक्त दो विकल्पों में से किसी एक के अनुसार भूमि का समेकन करने के लिए विनिश्चय करने और आगामी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

समेकन स्कीम का प्रारूप तैयार करना तथा आक्षेप आमन्त्रित करना।

8. (1) सक्षम प्राधिकारी, धारा 7 के अधीन प्राप्त किए गए विकल्पों का सम्यक् विचारण करने के बाद, कुल परियोजना भूमि की समेकन स्कीम का प्रारूप तैयार करेगा तथा ऐसे सार्वजनिक नोटिस के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सभी हितबद्ध व्यक्तियों को आक्षेप दायर करने हेतु समर्थ बनाने के लिए आम जनता की सूचना के लिए समेकन स्कीम का प्रारूप ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अधिसूचित करेगा। प्रारूप समेकन स्कीम रीति, जिसमें प्रतिकर संवितरित किया जाएगा या भूमि का विनिमय किया जाएगा, विनिर्दिष्ट करेगी।

(2) सक्षम प्राधिकारी, उपरोक्त उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आक्षेप, यदि कोई हों, का ऐसे आक्षेपों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि से एक मास की और अवधि के भीतर सम्बद्ध व्यक्ति को ऐसे आक्षेपों पर निर्णय की सम्यक् सूचना के अधीन विनिश्चय करेगा।

अन्तिम स्कीम की अधिसूचना।

9. सक्षम प्राधिकारी, अधिसूचना द्वारा, परियोजना भूमि के लिए अन्तिम समेकन स्कीम का प्रकाशन ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में करेगा।

कब्जा लेने का अधिकार।

10. धारा 9 के अधीन अन्तिम स्कीम की अधिसूचना के बाद, सक्षम प्राधिकारी निजी भूमि के रह गए भू–खण्ड़ों का कब्जा लेगा तथा उसके बदले में उस व्यक्ति, जो अन्तिम समेकन स्कीम के अधीन हकदार है, को प्रतिकर संवितरित करेगा या भूमि का कब्जा ऐसी रीति में सौंपेगा, जो विहित की जाए।

अधिकार अभिलेख तैयार करना।

11. सक्षम प्राधिकारी, अन्तिम समेकन स्कीम को प्रभावी रूप देने के लिए अधिकारों का नया अभिलेख भी तैयार करवाएगा।

अभिलेख मंगवाने हेतु राज्य सरकार की शक्तियां।

12. राज्य सरकार, किसी भी समय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए किसी आदेश, तैयार की गई या बनाई गई स्कीम की वैधता या उपयुक्तता के बारे में स्वयं की संतुष्टि के प्रयोजन के लिए या तो स्वप्ररेणा से या किसी व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लंबित या द्वारा निपटाए गए किसी मामले का अभिलेख मंगवा सकती है या की जांच कर सकती है तथा उसके संदर्भ में ऐसा आदेश, जो वह ठीक समझे, पारित कर सकती है :

परन्तु कोई भी आदेश या स्कीम सिवाय उन मामलों में जहां राज्य सरकार की संतुष्टि हो जाती है कि कार्यवाहियां, विधिविरूद्ध विचारण द्वारा अमान्य की गई हैं, हितबद्ध व्यक्तियों को पेश होने का नोटिस तथा सुनवाई का अवसर दिए बिना परिवर्तित या प्रतिवर्तित नहीं की जाएगी।

अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे व्यक्तियों का लोक सेवक होना।

13. इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहा प्रत्येक अधिकारी तथा कर्मचारी भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझा जाएगा।

सद्भावपूवर्क की गई कार्रवाई का संरक्षण।

14. किसी बात, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई है अथवा किए जाने के लिए आशयित है, के कारण हुई अथवा होने वाली सम्भाव्य किसी क्षति के सम्बन्ध में किसी लोक सेवक या राज्य सरकार के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेगी।

सिविल न्यायलय की अधिकारिता का वर्जन।

15. किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन आने वाले मामलों के संबंध में किसी प्रश्न को ग्रहण या निर्णीत करने की कोई अधिकारिता नहीं होगी।

इस अधिनियम के उपबंधों का अध्यारोही प्रभाव होना।

16. राज्य में तत्समय लागू किसी अन्य विधि में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध अभिभावी होंगे।

नियम बनाने की शक्ति।

17. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन के बाद, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध कर सकते हैं :–

(क) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों, कृत्यों तथा कर्तव्यों;

(ख) धारा 5 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की रीति तथा भूमि के ब्यौरों ;

(ग) धारा 6 के अधीन नोटिस देने की रीति ;

(घ) धारा 7 के अधीन विकल्प प्रयोग करने की रीति ;

(ङ) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रारूप स्कीम के प्रकाशन की रीति ;

(च) धारा 9 के अधीन अधिसूचना की रीति ;

(छ) धारा 10 के अधीन कब्जा लेने की रीति ;

(ज) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाना है या विहित किया जा सकता है।

कुलदीप जैन,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

56064—L.R.—H.G.P., Chd.